

## प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल)/2021-2022  
सेवा में,

दिनांक-दिसम्बर, 03, 2021

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य  
अलमा मेटर द स्कूल,  
मानीराम, गोरखपुर,  
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान/विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग  
/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-24.11.2021

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध-10-अदद  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये  
निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपया-100/-भारतीय स्टेट बैंक शाखा, बैंक रोड, जनपद-गोरखपुर,  
में चालान संख्या-KT00115, दिनांक-29.11.2021 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के  
उपरान्त 10-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- चेकिंग का दिनांक-30.11.2021
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक व चेकिंग अधिकारी का नाम-30.11.2021, प्रमारी अग्निशमन केन्द्र,
- 3- संस्थान का विवरण-विद्यालय/कालेज
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-10
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-10
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC-फायर एक्सटिंग्यूशर	04-कि0ग्रा0	10	कार्यशील
2	होजरील			कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित  
की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention  
and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होगी।  
भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग  
प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

15 Dec 8  
(डी0के0 सिंह) 03/12/2021  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
(डी0के0 सिंह)  
जनपद-गोरखपुर।  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
गोरखपुर

# वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

कोषागार प्रपत्र 209 (I)

प्रपत्र संख्या-43 ए (I)  
(प्रपत्र 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

SBI GIDA

र. अलम सेक्टर नं. 11

2- पता

212/100

3- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व बाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

अभिमान अकादी का धनराशि जमा

5- चालान की सकल राशि

100/-

6- चालान की निर्वल राशि

7- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर

0070-60-109-01-02

8- लेखा शीर्षक का डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक

उप-मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक

उप शीर्षक

व्योरेवार शीर्षक

धनराशि (अंको में)

0070

60

109

01

02

100/-

धनराशि (शब्दों में)

एक सौ रुपये

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(डी० के० सिंह)  
मुख्य अभिज्ञान अधिकारी

योग  
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

## केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या.....

दिनांक.....

अंको में रु०

शब्दों में रु०


प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मोहर सहित

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including '100/11' and 'ae'.